**श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा दिनांक 28.04.2025 को पूर्वा0 10.30 बजे प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, बायसी का किये गये औचक निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :-**

आज दिनांक 28.04.2025 को पूर्वा0 10.30 बजे प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, बायसी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, बायसी में अवस्थित विभिन्न कार्यालयों का भौतिक निरीक्षण किया गया।

1. RTPS लोहिया स्वच्छ अभियान कार्यालय, Help Desk (अंचल कार्यालय के राजस्व कार्यों की जानकारी हेतु), प्रखंड कृषि कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, District Emergency Response Cum Training Center में ताला बंद पाया गया। अग्निशमन कार्यालय खुला पाया गया।

2. कौशल युवा केन्द्र का निरीक्षण किया गया। केन्द्र में अव्यवस्था की स्थिति पायी गयी। कक्षा का संचालन नहीं हो रहा था। केन्द्र पर निम्नांकित कर्मी उपस्थित पाये गये। 1. राज कुमार ईश्वर 2. शक्ति कुमार ठाकुर 3. रवि कुमार। कक्षा संचालन नहीं होने के संबंध में बताया गया कि आज मध्याह्न 12 बजे से परीक्षा निर्धारित है। तदनुसार कक्षा कार्य स्थगित किया गया है। किन्तु इस संबंध में कोई कागजात उपस्थापित नहीं किया गया। Enrolled Student की विवरणी भी उपस्थापित नहीं किया गया। केन्द्र में काफी गंदगी पायी गयी। प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होती है कि कौशल युवा केन्द्र का संचालन विधिवत रूप से नहीं हो रहा है तथा उपस्थित तीनों कर्मियों में आवश्यक शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता का अभाव पाया गया।

   अतः जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि इसकी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। साथ ही अगले 15 दिनों में सभी प्रखंड अंतर्गत कौशल युवा केन्द्र की जाँच कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय निदेशों के अनुसार कौशल युवा केन्द्र का संचालन हो रहा है तथा संबंधित एजेंसी द्वारा कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है।

3. प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर के निरीक्षण के क्रम में SFC गोदाम का निरीक्षण किया गया। गोदाम बंद पाया गया। AGM, बायसी अनुपस्थित पाये गये। एक ट्रेक्टर पर अनाज लदा हुआ पाया गया। तथा यह बताया गया कि प्रखंड परिवहन अभिकर्त्ता के पुत्र के नाम से अनाज रिलीज किया गया है। AGM लगभग 12.30 बजे उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि जिला प्रबंधक, पूर्णिया द्वारा परिवहन अभिकर्त्ता के पुत्र को Authorize किया गया है। किन्तु आदेश उपस्थापित नहीं किया गया। गोदाम निर्गमन आदेश की माँग करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटर का प्रिंटर खराब होने के कारण निर्गमन आदेश तथा ट्रक चलान का प्रिंट आउट नहीं निकल पाया है।

   जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णिया को उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया जाता है। तथा निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखंड अंतर्गत गोदाम का क्रमिक रूप से निरीक्षण करते हुए अनाज का Transportation विभागीय निदेशों के अनुरूप कराया जाय।

**4. प्रखंड कार्यालय, बायसी :-**

- प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के अंदर काफी गंदगी पाया गया तथा कार्यालय में रखी सामग्री एवं अभिलेख आदि अव्यवस्थित पाया गया।

- प्रखंड कार्यालय कक्ष में Biometric System अधिष्ठापित पाया गया। किन्तु यह पाया गया कि 17 कर्मियों में से मात्र 9 के द्वारा ही अपनी उपस्थिति दर्ज की गयी है।
- रोकड़ पंजी दिनांक-25.03.2025 तक संधारित पाया गया। रोकड़ पंजी को अद्यतन करने का निदेश दिया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के सभी आवंटित आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2575 आवास Sanction हुआ है जिसमें से 2301 का First किश्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है। बताया गया कि शेष 274 आवास लाभुकों का नाम mismatch होने के कारण पुनः Annexure-1 भरकर भेज दिया गया है। इस कार्य को शीध्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

**5. अंचल कार्यालय, बायसी :-**

- अंचल कार्यालय में अधिष्ठापित Biometric Machine खराब बताया गया, जिसे अविलंब ठीक कराने का निदेश दिया गया।
- अंचल अधिकारी, बायसी, श्री गणेश पासवान द्वारा दिनांक-28.02.2024 को अंचल कार्यालय, बायसी में योगदान किया गया है। सामान्य रोकड़ बही पंजी का अवलोकन किया। रोकड़ बही दिनांक 15.11.2024 तक तैयार किया गया है। किन्तु अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर 09.08. 2024 तक ही है। इस संबंध में नाजीर बिमल कुमार द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। रोकड़ बही पंजी को अद्यतन करने का निदेश दिया गया। रोकड़ बही विवरणी का Detail भी स्पष्ट नहीं किया जा सका। अग्रिम की राशि तथा लंबित अभिश्रव के विरूद्ध एक बड़ी राशि समायोजन हेतु लंबित है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 अग्रिम सहित अन्य कई मदों का अग्रिम Pending है। इस संबंध में अंचल नाजीर से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया जाता है।
- अंचल अमीन के कार्यो की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सम्प्रति 55 मामले लंबित हैं जो काफी अधिक है। अंचल कार्यालय में मापी पंजी संधारित नहीं है। अंचल अमीन के दैनिक कार्यों के Monitoring की उचित व्यवस्था का अभाव है। मापी वाद सं0 - 262/24-25 के अभिलेख का अवलोकन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मापी प्रतिवेदन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है तथा अंचल अमीन रवि प्रकाश द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।
- अनुग्रह अनुदान पंजी के अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि पंजी यथोचित रूप से संधारित नहीं किया जा रहा है। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सम्प्रति अनुग्रह अनुदान के 2 मामले ही लंबित हैं जिसके संबंध में अभिलेख जिला को भेज दिया गया है। किन्तु पंजी में कृत कार्रवाई की स्थिति अंकित नहीं है। अनुग्रह अनुदान पंजी में आवेदनों पर कृत कार्रवाई/स्वीकृति /अस्वीकृति की अभ्युक्ति अंकित नहीं है। अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि पंजी अविलम्ब अद्यतन करें तथा लंबित मामलो को Verify कर लें।
- अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभियान बसेरा-2 के तहत सभी चिन्हित लाभुकों को जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। तथा कोई मामला लंबित नहीं है। इस संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- कटाव से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास कार्य की समीक्षा की गई। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि अंचल अन्तर्गत मात्र ताड़ाबाड़ी पंचायत के 70 परिवारों का मामला लंबित है। अन्य कोई मामला लंबित नहीं है। पुनर्वास हेतु जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई एक माह के अन्दर करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करने का निदेश अंचल अधिकारी को दिया गया।
- निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रखंड के 17 पंचायत में 2 जगह पंचायत सरकार भवन बन चुका है। शेष 15 में से 14 में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कोई समस्या नहीं है। एक मामले में न्यायालय में वाद लंबित रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

---

निरीक्षण के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा निम्नांकित समस्या से अवगत कराया गया :-

- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनका आवास जर्जर अवस्था में है। मरम्मति कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग को पत्र भेजा गया है। कार्यालय में लिपिक की कमी है। तीन लिपिक जिला मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है।
- अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय में मात्र दो लिपिक कार्यरत होने के कारण कार्य में कठिनाई होती है। अंचल कार्यालय में कुल गार्ड की संख्या 4 में 3 सेवानिवृत हो जाने के कारण मात्र 1 बचा है। अंचल अधिकारी के उपयोग में ली जाने वाली वाहन की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

---

**<u>निरीक्षण के उपरांत निम्नांकित निदेश दिया जाता है:-</u>**

1. आज के निरीक्षण में पाये गये सभी अनुपस्थित कर्मियों का आज दिनांक- 28.04.2025 का आधे दिन का वेतन/मानदेय स्थगित रहेगा।

2. सभी कार्यालय में Biometric Machine का विधिवत् अधिष्ठापित सुनिश्चित किया जाय। Biometric उपस्थिति के आधार पर सरकार के निदेशों के अनुसार ही वेतन/मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जाय।

3. प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में सभी अभिलेखों का उचित ढ़ंग से संधारण किया जाय। सभी कार्यालय पंजी का विधिवत संधारण किया जाय। असमायोजित अग्रिम की वसूली हेतु समयवद्ध रूप से कार्रवाई की जाय।

4. RTPS, लोहिया स्वच्छ अभियान कार्यालय, Help Desk (अंचल कार्यालय के राजस्व कार्यों की जानकारी हेतु), प्रखंड कृषि कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, District Emergency Response Cum Training Center में ताला बंद रहने के संबंध में स्पष्टीकरण उचित माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।
5. जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णिया एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णिया अपना स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह में उपलब्ध करायेंगे।
6. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी -सह- वरीय पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आज के निरीक्षण टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं के संदर्भ में समय-समय पर संबंधित कार्यालय का निरीक्षण करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यालय सरकारी समयानुसार

10.00 बजे पूर्वाह्न में खुल जाए। साथ ही प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय एवं परिसर में साफ-सफाई तथा अभिलेखों के यथोचित रख-रखाव की Monitoring करेंगे।

अंचल अधिकारी निरीक्षण टिप्पणी के संदर्भ में कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करावें। प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवास के मरम्मति के संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय के लिपिक अन्यत्र प्रतिनियुक्ति के संबंध में समीक्षा कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यथोचित संख्या में प्रत्येक प्रखंड/अंचल कार्यालय में कम से कम 3 लिपिक कार्यरत रहे।

इस निरीक्षण टिप्पणी के अनुपालन/कृत कार्रवाई की समीक्षा दिनांक 29.05.2025 को पूर्वाह्न 10.00 बजे अनुमंडल कार्यालय, बायसी में किया जायेगा। जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी -सह- वरीय पदाधिकारी बायसी उपस्थित रहेंगे। उक्त तिथि को अनुमंडल कार्यालय/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण टिप्पणी दिनांक-27.05.2025 को उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक 106/ सी0 दिनांक 29/04/2025

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदा/अंचल अधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी -सह- वरीय पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप-विकास आयुक्त, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, राजस्व, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Byck.
29/4/2025.
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया